

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/16

श्री एसा चौध पिता दाउद अली
 ग्राम परतारायडीह अंचल देवरी जिला
 गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ध्यारे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु
 आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री रोजना मिश्रा उर्फ श्री गजराज
 पिता स्व. पेम मिश्रा ग्राम जामखोरा
 अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 10465
 दिनांक 12.12.13 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
<u>जामखोरा</u>	<u>252</u>	<u>34</u>	<u>2059</u>	<u>9230</u>

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हत्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 8/6/16 को उपस्थापित करें।
 जहाँ तक आवश्यक है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्णतः सही ढंग से चलाने के लिए पंजीकरण पर इ-द्वारा अभिलेख जमा किया जाय।
 फारम नं. 12/5/16 हेतु उपस्थापित करें।

[Signature]
 अंचल अधिकारी,
 देवरी।

[Signature]
 अंचल अधिकारी,
 देवरी।

2/6/16

30/5/16


31/5/17 अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया कि आवेदित जमीन गैरमजरूआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या IV के पृष्ठ संख्या III पर विक्रेता स्वर्ण के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।


अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति ऐशा बीबी मिता/पति दाउद अली ग्राम पूर्वतराथडी के नाम किया जाता है।

ग्राम	थाना न0	प्लॉट न0	रकबा	माल
गमरसोरा	252	2059	9250	25500


सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित


अंचल अधिकारी,
देवरी।


अंचल अधिकारी,
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।


अंचल अधिकारी,
देवरी।

Handwritten notes and signatures on the right margin.